न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 04 / 2019

प्रार्थीगण– *बनाम* **अप्रार्थीगण–**

1. श्रीमती नरेन्द्रकंवर पुत्री हिम्मतसिंह पत्नी दिलीपसिंह जाति राजपूत निवासी जसोल हाल गांव सोनेथ तालुका सूईगावा जिला बनासकांठा
2. श्रीमती प्रेमकंवर पुत्री हिम्मतसिंह पत्नी रणवीरसिंह चौहान जाति राजपूत निवासी जसोल हाल निवासी 170 हनवन्त–ए, बीजेएस कॉलोनी जोधपुर तहसील जोधपुर जिला जोधपुर

1. ग्राम पंचायत जसोल जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत जसोल तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
2. गजेन्द्रसिंह पुत्र सौभाग्यसिंह जाति राजपूत निवासी जसोल तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 233 दिनांक 19.12.2004 जो अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत जसोल द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री रूपसिंह राठौड़, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री पवन सिंघल, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 18 / 02 / 2020

1. **प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत** प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत जसोल द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 167(1) के तहत ग्राम जसोल मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 233 दिनांक 19.12.2004 को

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जारी किया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 2070.25 वर्गगज दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत जसोल द्वारा जारी इस पट्टा विलेख की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत जसोल का प्रश्नगत अभिलेख मंगाया गया। अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थीगण ग्राम जसोल के भूतपूर्व जागीरदार स्व. हिम्मतसिंह की जायन्दा पुत्रियां है तथा प्रार्थीगण की माता छगनकंवर का देहान्त काफी अरसा पूर्व हुआ हैं। प्रार्थीगण के अलावा स्व0 हिम्मतसिंह के अन्य कोई विधि वारीसान नहीं हैं। प्रार्थीगण के पिता द्वारा वक्त जागीर रिज्युम्पशन अपनी पर्सनल प्रोपर्टी की सूची प्रस्तुत की गई थी जिसमें विवादित भूखण्ड एवं रहवासीय सम्पत्ति उल्लेखित हैं। अप्रार्थी सं. 2 ने अप्रार्थी सं. 1 के साथ मिलकर प्रार्थीगण को विरासत में प्राप्त हुई उक्त सम्पत्ति को हड़पने की नियत आलौच्य पट्टा सं. 233 दिनांक 19.12.2004 फर्जी एवं मिथ्या जारी कराया हैं। अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत जसोल को प्रार्थीगण की मालकी के उपरोक्त मकानात मय खुल आबदी जमीन का पट्टा बनाने का कोई कानूनी हक अधिकार नही है व ग्राम पंचायत जसोल ने प्रार्थीगण की पीठ के पीछे अप्रार्थी सं. 02 गजेन्द्रसिंह के हक में उक्त पट्टा जारीकर कानूनी एवं वाक्याती भूल की गई हैं। इस आधार पर आलौच्य पट्टा निरस्त योग्य हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

4. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 2 ने ग्राम पंचायत जसोल के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र की पत्रावली में जिला एवं सेशन न्यायाधीश बालोतरा द्वारा पारित दिवानी आरम्भिक प्रकरण सं. 5/1995 में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2003 सम्मिलित किया है, जिसके द्वारा अप्रार्थी सं. 2 गजेन्द्रसिंह को फर्जी वसीयत के आधार पर हिम्मतसिंह का गोद पुत्र घोषित किया गया था। इस निर्णय के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एसबी सिविल प्रथम अपील सं. 188/04 के द्वारा अपील स्वीकार कर दिनांक 21.05.2004 को स्थगन आदेश जारी कर, हिम्मतसिंह की सम्पत्ति का रिकार्ड यथास्थिति में रखने का आदेश दिया। इसके बावजूद ग्राम पंचायत जसोल ने माननीय उच्च न्यायाल के आदेश दिनांक 21.05.2004 का उल्लंघन/अवमानना कर आलौच्य पट्टा जारी करवा दिया हैं जो इस संदर्भ में प्रथमदृष्ट्या खारिज योग्य हैं।

5. प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि प्रार्थीगण राजपूत महिलाऐं है जो अधिकतर अपने घर गृहस्थी में व्यस्त रहती हैं व घर से बाहर आती–जाती नहीं है। प्रार्थीगण की पीठ पीछे बिना सूचना दिये अप्रार्थी सं. 01 ग्राम पंचायत जसोल द्वारा अप्रार्थी सं. 2 को नाजायज फायदा पहुंचाने की बदनियती से उक्त फर्जी एवं मिथ्या कार्यवाही कर आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं। जिसकी प्रार्थीगण को कुछ दिन पूर्व ही लोगों से होने पर प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत के रेकर्ड की जांच करवाई व नकलें प्राप्त की तथा जानकारी होते ही यह निगरानी प्रार्थना पत्र बिना देरी किये प्रस्तुत किया गया हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा कर आलौच्य पट्टा विलख निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

6. अप्रार्थी सं. 2 ने जवाब में प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 1 के समक्ष अप्रार्थी सं. 2 ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम जसोल की आबादी भूमि में अपने पैतृक स्वामित्व व आधिपत्य के भूखण्ड एवं रहवासीय परिसर का

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पट्टा जारी करने का निवेदन किया गया। ग्राम पंचायत जसोल द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के आवेदन पत्र पर नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए भूमि का मौका निरीक्षण रिपोर्ट ली गई तथा स्थानीय जांच उपरांत सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस प्रकाशित किया। इसके पश्चात निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं होने पर ग्राम पंचायत की आम बैठक में प्रस्ताव पारित कर आलौच्य पट्टा जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया हैं। इस प्रकार आलौच्य पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत के द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता अथवा अवैधता नहीं की गई हैं और न ही प्रार्थीगण ने अपने निगरानी प्रार्थना पत्र में कहीं भी किसी प्रकार की अवैधता को उजागर किया गया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा विलेख वर्ष 2004 में जारी किया गया हैं जिसके विरूद्ध करीब 15 वर्ष पश्चात यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं तथा इसके संलग्न प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में भी स्पष्ट नहीं किया गया हैं कि उन्हे आलौच्य पट्टे की जानकारी किस प्रकार हुई हैं। इसके अलावा प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हैं जिससे यह प्रकट हों कि विवादित भूखण्ड व परिसर में उनका कब्जा व आधिपत्य रहा हैं। प्रार्थीगण दोनो ही विवाहित हैं तथा अपने–अपने ससुराल में निवास करती हैं उनका ग्राम जसोल में रहवास नही हैं। माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत प्रथम अपील में अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के प्रभाव को स्थगित किये जाने का स्थगन आदेश हैं जिसमें ग्राम पंचायत पक्षकार नहीं हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत जसोल द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं जिसके विरूद्ध प्रस्तुत इस निगरानी प्रार्थना पत्र में धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1997 के किसी भी पहलु पर आलौच्य पट्टा हस्तक्षेप योग्य प्रतीत नहीं होता हैं। लिहाजा प्रार्थीगण का यह

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें तथा आलौच्य पट्टा यथावत बहाल रखा जावें।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता कथन हैं कि अप्रार्थी सं. 2 के नाम जो पट्टा जारी किया गया हैं वह गोदपुत्र की हैसियत से जारी किया गया है जो गलत हैं एवं गोदपुत्र का कोई हक नहीं था। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा इस प्रकार से स्व0 हिम्मतसिंह के वारीसान एवं उनके गोदपुत्र के हक अधिकारों के बारे में बल देते हुए प्रकट किया हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा गलत जारी किया गया हैं, जबकि इस न्यायालय को इस प्रकार के विरासत अधिकार एवं गोदपुत्र की वैधता को जांचने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं हैं। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जिला एवं सेशन न्यायालय बालोतरा द्वारा जारी की गई डिक्री के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी किया गया है। इस निगरानी प्रार्थना पत्र के द्वारा धारा 97 के तहत आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने के आदेश की सत्यता, वैधता एवं औचित्यता को देखा जाना है। पक्षकारान के स्वामित्व अधिकारों का निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का नहीं हैं। इसके अलावा प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रकट किया हैं कि ग्राम पंचायत के समक्ष अप्राथी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में कई कॉलम खाली छोड़े गये हैं। इस संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत का अभिलेख अवलोकन से पाया जाता हैं कि यद्यपि कुछ कॉलम खाली छोड़े गये हैं किन्तु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया हैं तथा छोटी सी त्रुटियां किसी प्रकार की अवैधता का आधार नही हैं। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि के अभाव में प्रार्थीगण की इस निगरानी में धारा 97 में विहित आधार नहीं बनता हैं। इसके अलावा भी आलौच्य पट्टा विलेख जारी होने से यदि प्रार्थीगण अपने हक–अधिकार प्रभावित होना मानते हैं तो उन्हे सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

चाहिए। ऐसे में प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यथाविहित सत्यता, अनियमितता, अपूर्णता एवं अवैधता की कसौटी पर उल्लेखित आधारों पर स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 18.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर